

जनपद-संतकबीरनगर

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 21.05.2025

थाना महुली पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में वांछित 03 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

जनपद में मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा ***श्री प्रियम राजेशेखर पाण्डेय*** के निकट पर्यवेक्षण में ***थाना महुली पुलिस*** द्वारा मु0अ0सं0 158/2025 धारा 110/352/351(3)/70(1)/74/123/87 भा0न्या0सं0 व 3(2)5,3(2) 5क,3(1)ध एससी/एसटी एक्ट थाना महुली जनपद संतकबीरनगर के मामले में वांछित 03 नफर अभियुक्तों नाम पता 1. भोला यादव पुत्र धर्मजीत यादव निवासी सेन्दुरिया थाना महुली जनपद संतकबीर नगर 2. ज्ञानदास यादव पुत्र रामचन्दर यादव निवासी मजगावा थाना महुली जनपद संतकबीर नगर 3. अनिल यादव पुत्र ब्रह्मदेव यादव निवासी मजगावा थाना महुली जनपद संतकबीर नगर को आज दिनांक 21.05.2025 को मुखलिसपुर से भगता जाने वाले मार्ग के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादिनी द्वारा दिनांक 20.05.2025 को थाना महुली पर उक्त अभियुक्तों व उसके सहयोगियों के विरुद्ध वादिनी के सामूहिक दुष्कर्म, गाली गलौज तथा धमकी देने सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना महुली पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही कर आज दिनांक 21.05.2025 को उक्त अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- थानाध्यक्ष श्री रजनीश राय, उ0नि0 श्री सतेन्द्र यादव, उ0नि0 श्री अमित कुमार, का0 सनी यादव, का0 राहुल कुमार, का0 अरविन्द यादव, का0अभिषेक सिंह।

दबिश के दौरान 02 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा वारण्टी नाम पता 1. अमरनाथ पुत्र रामसेवक निवासी चनगहिया सरफरा थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर 2. गुड्डु उर्फ वगधर पुत्र स्व0 रामरूप केवट निवासी गगनई राव थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- उ0नि0 श्री दरशथ, का0 आशु यादव।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 05 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 05 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 150 वाहनों से 1,47,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 21.05.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 150 वाहनों से 1,47,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए युवती को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

जनपद में मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल ***श्री सर्व दवन सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 171/2025 धारा 69, 87, 61(2) बीएनएस थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर के मामले में वांछित अभियुक्त नाम पता सोहन पुत्र लुटावन निवासी ग्राम बढ़या ठाठर टोला खैरहवा थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर को बढ़या ठाठर रोड के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादिनी द्वारा दिनांक 08.05.2025 को थाना मेंहदावल पर वादिनी की पुत्री को उपरोक्त अभियुक्त द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर सुसंगत धाराओं की बढोत्तरी कर महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 21.05.2025 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- उ0नि0 श्री मैनेजर यादव, हे0का0 अंगद गुप्ता, हे0का0 अशोक कुमार सिंह।

थाना दुधारा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए गैंगेस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री अजीत चौहान*** के निकट पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी दुधारा ***श्री इन्द्रभूषण सिंह*** के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा मु0अ0सं0 89/ 2025 धारा 2(b)(1)/3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त अमित कुमार पाण्डेय उर्फ केतन पाण्डेय पुत्र शिव नारायन पाण्डेय निवासी दुधारा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को आज दिनांक 21.05.2025 को केरमुआ चौराहे के पास से विधिक नियमों का पालन करते हुये गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

अमित कुमार पाण्डेय उर्फ केतन पाण्डेय पुत्र शिव नारायन पाण्डेय निवासी दुधारा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।

आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 471/2024 धारा 392, 411 भादवि थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।
2. मु0अ0सं0 865/2015 धारा 384, 506 भादवि थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।
3. मु0अ0सं0 2353/2016 धारा 323, 504, 506, 325 भादवि थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।
4. 2363/2017 धारा 13 जुआ अधिनियम थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।
5. मु0अ0सं0 89/ 2025 धारा 2(b)(1)/3(1) यूपी गैंगेस्टर अधि0 थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।

***गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम*-** थाना प्रभारी श्री इन्द्रभूषण सिंह, उ0नि0 श्री वीर बहादुर यादव, हे0का0 आलोक मणि, का0 रंजन कुमार सिंह, का0 आनन्द पटेल।

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

जनपद में मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री अजीत चौहान*** के निकट पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 430/2025 धारा 65(1), 351(2) बीएनएस व 5L/6 पाक्सो एक्ट थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर के मामले में वांछित अभियुक्त नाम पता ओमपति निषाद उर्फ कतली पुत्र संतोषी उर्फ सोठी निवासी पड़रिया थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को आज दिनांक 21.05.2025 को इन्डस्ट्रियल एरिया के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादी द्वारा दिनांक 20.05.2025 को थाना कोतवाली खलीलाबाद पर उक्त अभियुक्त के विरुद्ध वादी की नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म करने व धमकी देने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही कर आज दिनांक 21.05.2025 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- निरीक्षक अपराध श्री रामेश्वर यादव, उ0नि0 श्री सूर्यभान यादव, का0 रंजन राजभर, का0 विशाल कुमार सिंह।